संख्या- 162 / 2016 / 2148 / चार-2016-221 (वि0)/13

प्रेषक,

डा0 हरिओम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर , 2016

विषय:-मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-59/सी0एम0-165/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक 13 मई,2015 के प्रस्तर-2 के बिन्दु- 3,4 एवं 5 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-59/सी0एम0-165/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक 13 मई,2015 के प्रस्तर-2 के बिन्दु 3,4 एवं 5 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के तहत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी । तदनुक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 मई,2015 के प्रस्तर-2 के बिन्दु- 3,4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तो के स्थान पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित शर्तो को निम्नानुसार पढ़ा जाय:-

प्रस्तर-2	शासनादेश संख्या-59/सी0एम0-165/चार-2015-221(वि0) /13 दिनांक 13 मई,2015 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्ते	स्तम्भ-2
बिन्दु-3	विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक , सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों , कार्यकलापों और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था या विभाग को निर्धारित शुल्क जमा कराकर पण्डाल के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के शासकीय प्रयोग के लिए पण्डाल का नि:शुल्क आवंटन किया जायेगा।	: शासनादेश दिनांक 13-05-2015 की शर्त संख्या-3 पूर्णतया हटाई जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

बिन्दु-4	पण्डाल भवन का स्वामित्व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में सुरक्षित रहेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति , संस्था, विभाग अथवा एजेन्सी को किसी प्रकार से, किसी भी रीति से, न विनिमय किया जायेगा, न बेचा जायेगा अथवा किसी भी रूप में किसी को हस्तान्तरित किया जायेगा।	पण्डाल भवन का स्वामित्व मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी अन्य व्यक्ति , संस्था विभाग अथवा एजेन्सी को किसी प्रकार से, किसी भी रीति से, न विनिमय किया जाएगा , न बेचा जायेगा अथवा न किसी भी रूप में किसी को हस्तान्तरित किया जायेगा।
बिन्दु-5	विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय निकाय, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अवधारित, भारित और आरोपित किये गये करो, शुल्कों और अन्य देयों का भुगतान किया जायेगा।	विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय निकाय, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अवधारित, भारित और आरोपित किये गये करों, शुल्कों और अन्य देयों, यदि देय होंगे, का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-59/सी0एम0-165/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक 13 मई,2015 के प्रस्तर-2 के बिन्दु 3,4 एवं 5 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक 13 मई,2015 की अन्य शेष शर्ते यथावत् रहेगी। भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - /2016 / 2148 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, रामपुर ।
3- रजिस्ट्रार , मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), रामपुर ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/